समीक्षा बैठक में टीसी गुप्ता ने लगाई अधिकारियों को लताड़

राज्य सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त ने बैठक में नहीं पहुंचने पर लेबर विभाग के इंस्पेक्टर का एक दिन का वेतन काटने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, सिरसा : चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हाल में आडिटोरियम हाल में बुधवार को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत हरियाणा राज्य सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्धारित समय अवधि में कार्य नहीं करने पर अधिकारियों को लताड़ लगाई। समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचने पर लेबर विभाग के इंस्पेक्टर का एक दिन का वेतन काटने के भी निर्देश दिए। इसी के साथ एक अधिकारी को योजनाओं से संबंधित कार्यों की रैंकिंग में सुधार नहीं होने पर डांट लगाई। मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि 31 विभागों की 546 सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें से 277 सेवाएं आनलाइन हैं। आवश्यकता अनुसार अन्य सेवाओं को भी आनलाइन कर सेवा अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा।

तीन घंटे तक अधिकारियों की लेते रहे क्लास : आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता तीन घंटे तक अधिकारियों की क्लास लेते रहे। उन्होंने कहा कि 10 में से 9.5 से अधिक स्कोर हो और फीडबैक में 5 में से 4 अंक होने चाहिए। इसके लिए विभाग गंभीरता से कार्य करें। इस दौरान नागरिकों ने भी समस्याएं प्रस्तुत करने के साथ-साथ अपने सुझाव भी रखे। मुख्य आयुक्त ने इस दौरान नागरिकों से फीडबैक भी लिया।

बिजली निगम से कोई संतुष्ट है तो आप बता दो : मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बिजली निगम में पेंडिंग केसों के बारे में एसई चंद्र शेखर जाखड़ से कारण पूछा। इसी के साथ सेक्टर निवासी बिमल सिंह ने बिजली मीटर नहीं लगने की बात कही। आयुक्त ने खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि रैंकिंग में आपका स्तर सही नहीं है। इसी के साथ बिजली निगम से कोई संतुष्ट नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो क्यों न 20 हजार रुपये तक जुर्माना कर दिया जाए। जो भी केस हैं उनका समय पर निपटान किया जाए।

कृषि विभाग के उपनिदेशक डा. बाबूलाल से रैंकिंग में सुधार नहीं होने पर कारण पूछा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आपको कितने साल सिरसा में कार्य करते हुए हो गये। इस पर उन्होंने वर्ष 2018 से कार्य करने की बात कही। इस पर मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा क्यों न आपका तबादला यमुनानगर कर दिया जाए। 4774 फार्म में 80 फीसद रिजेक्ट हो रहे हैं। सरकार अच्छी योजनाएं चला रही है, कमी आपमें है। किसानों के लिए अच्छी स्कीम चल रही है।

हरियाणा राज्य सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता का स्वागत करते उपायुक्त अनीश यादव। • विज्ञप्ति।

साइट पर नहीं गांव, नहीं हो रहे बुढ़ापा पेंशन के आवेदन

समाज कल्याण विभाग की साइट पर आवेदन करते समय गांव के नाम नहीं दिखाने की समस्या बुजुर्ग द्वारा रखी गई। इस पर मुख्य आयुक्त ने जिला अधिकारी नरेश बतरा से कारण पूछा। उन्होंने कहा कि ढाणी कंचन सिंह, ढाणी खुइयांवाली, संतनगर, डिंग मोड, कर्मीकावास, चक्कवाली साइट पर नहीं दिख रहे है। इसके लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। जल्द ही ये गांव साइट पर दिखने शुरू हो जाएंगे। जिससे बुढ़ापा पेंशन के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे।

शहर में कही नही होनी चाहिए सीवरेज समस्या

सिरसा निवासी सुरेंद्र सिंह वैदवाला ने खालसा स्कूल के पास सीवरेज समस्या होने के बारे में अवगत करवाया। मुख्य आयुक्त ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के एसई एमएस राणा को तुरंत प्रभाव से सीवरेज समस्या हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शौकर मशीन जहां भी सीवरेज बंद है शुरू करवाए। वहीं शौकर मशीन से सभी सीवरेज के मैनहाल साफ करवाते रहे। इसी के साथ जो भी केस पेंडिंग है। उनका समाधान किया जाए।

आपको तीन साल तक वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे लगेगा

हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंधक से पेंडिंग केसों के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल 2018 से पेंडिंग है। जिसके तहत चार केस पेंडिंग है। जिनको योजना का लाभ नहीं मिला है। इनकी विसरा रिपोर्ट नहीं होने पर योजना का लाभ नहीं मिला। इस पर मुख्य आयुक्त ने कहा कि आपने क्या प्रयास किया। अधिकारी के चुप्पी साधने पर कहा आपको तीन साल तक वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे लगेगा।

पूर्ण लाभ समयबद्ध अवधि में पहुंचाना जरूरी : गुप्ता

मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार व राज्य सेवा अधिकार आयोग का मुख्य ध्येय आम जनमानस तक सरकारी सेवाओं तथा योजनाओं का पूर्ण लाभ समयबद्ध अवधि में पहुंचाना है। सरकारी सेवाओं का लाभ मिलने में लोगों को कोई परेशानी न हो और विभागीय कार्य सुगम व पारदर्शी तरीके से हो। सेवा अधिकार के तहत योजनाओं का समयबद्ध अवधि में लाभ न पहुंचाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं की प्राप्ति में लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। निर्धारित समय सीमा में लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसकी उल्लंघना करने वाले अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए अधिकारी पूर्ण ईमानदारी, समर्पण, निष्ठा व कर्मठता के साथ जनता की सेवा करें।

सब आम लोगों की सुविधा के लिए किया गया है

उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार आयोग का गठन ही आम लोगों की सुविधा व समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है। कुछ सेवाओं में प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त तथा अतिरिक्त उपायुक्त और एसडीएम होते हैं, जिन्हें स्वयं भी जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार से मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का निवारण ही प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से लोगों को सेवाओं का लाभ प्रदान करें। आवेदनों को ठोस कारण के बिना रद्द किये जाने पर भी कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। इसलिए अधिकारी आवेदनों को रद्द करने की आदत को भी बदलें। इस दौरान उन्होंने विस्तार से विभिन्न विभागों द्वारा सेवा अधिकार के तहत दी जा रही सेवाओं की संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली।

रैंकिंग में निश्चित रूप से लाया जाएगा सुधार

उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि सेवा का अधिकार आमजन के जीवन के सभी पहलुओं को छूता है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता, सुगमता व समबद्धता के साथ मिले। उन्होंने कहा कि जिला में प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है कि सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता व धरातल स्तर पर हो और पात्र व्यक्ति को इनका लाभ मिले। उन्होंने आयोग के मुख्य आयुक्त को भरोसा दिया कि वे सभी दिशा-निर्देशों की पूर्ण अनुपालना करवाएंगे और जिला की रैंकिंग मे निश्चित रूप से सुधार लाया जाएगा।

आज का काम कल पर मत छोड़ें

मंडल आयुक्त चंद्रशेखर ने कहा कि यदि सेवा अधिकार अधिनियम को एक वाक्य में परिभाषित किया जाए तो इसका मतलब होगा कि आज का काम कल पर न छोड़ें। उन्होंने आमजन का समय पर काम होने से न केवल विभाग के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि संबंधित अधिकारी व कर्मचारी की भी आमजन के बीच बेहतर छवि बनती है। इसलिए अधिकारी सेवा अधिकार के दायरे की समयसीमा में आमजन के कार्य करें, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक मिल सके। उन्होंने कहा कि सेवा अधिकार अधिनियम के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़े और विभाग भी इसकी बारीकियों से अवगत हो, इसके लिए वर्कशॉप लगाई जाएगी। उन्होंने मुख्य आयुक्त को भरोसा दिलाया कि सेवा अधिकार के तहत जो भी दिशा-निर्देश होंगे, उनकी प्रभावी रूप से पालना करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर उपायुक्त अनीश यादव, अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली राजेश पूनिया, एसडीएम कालांवाली उदय सिंह, सीटीएम गौरव गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।